न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 41/2013 तारीख रजू:– 31.02.2013

जीसीएमएस नं0 2013/00498

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

यादराम पुत्र महाराजसिंह जाति गुर्जर निवासी शहदगी का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर ———————————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 24.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं0 517 रकबा 21 ऐयर, 518 रकबा 6 ऐयर, 519 रकबा 7 ऐयर, 521 रकबा 33 ऐयर, 522 रकबा 28 ऐयर कुल रकबा 96 ऐयर वाके कस्बा हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 प्रार्थना पत्र का वास्तविक खसरा नं0 113 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा वाके हिण्डौन जिसके खातेदार रामजीलाल ब्राह्मण से दिनांक 20.06.1977 को प्रार्थी एवं बदन एवं खिलाडी से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था जिसके प्रार्थी एवं बदल खिलाडी बोना फाईड परचेजर एवं विथ कन्सीड्रेशन तथा काबिज काश्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि राजस्व कमचारी एवं सेटिलमेन्ट वालों ने सहबन से प्रार्थी की बल्दियत पहले मानसिंह एवं बाद में रामसिंह राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दी जबकि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.06.1977 एवं प्रार्थी के परिचय पत्र एवं राशनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी की बल्दियत महाराजसिंह दर्ज है। ग्राम में यादराम पुत्र मानसिंह एवं यादराम पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थी की बल्दियत वर्तमान जमाबंदी में रामसिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थी की सही बल्दियत महाराजसिंह गुर्जर है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के हकूकों को अपूर्तनीय हानि है। उक्त गलत इन्द्राज का इल्म दिनांक 26.07.2013 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुआ है। इल्म होने पर प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद निश्चत कोर्ट फीस पर पेश हैं जिसका सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की बल्दियत महाराजसिंह दर्ज किये जाने की कृपा करें एवं पूर्व के गलत हुए इन्द्राज को हजफ करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने बाद तामील उपस्थित आये किन्तु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा दिनांक 09.04.2026 को बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी अप्रार्थी व उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, नकल जमाबन्दी सं0 2037–40, नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20.06.1977 उनवानी रामजीलाल पुत्र गुट्टन जाति ब्राहम्ण निवासी दुब्बे पाडा हिण्डौन– विकेता प्रथमपक्ष बहक यादराम पुत्र महाराजसिंह , बदन पुत्र रमसू, खिलाडी पुत्र झूथिया जाति गुर्जर निवासी शहदकी का पुरा कस्बा

हिण्डौन– क्रेता द्वितीयपक्ष, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र सं0 आर.जे./11/086/132186 यादराम पुत्र महाराज सिंह निवासी सहदगी का पुरा गांव मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड महाराजसिंह पुत्र गिर्राज निवासी शहदगी का पुरा ग्राम पंचायत मण्डावरा, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 231145936007 यादराम सिंह गुर्जर पुत्र महाराज सिंह निवासी शहदगी का पुरा हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.21 है0, 518 रकबा 0.06 है0, 519 रकबा 0.07 है0, 521 रकबा 0.33 है0, 522 रकबा 0.28 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.95 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी यादराम पुत्र रामसिंह, बदन पुत्र रमसू, खिलाडी पुत्र झूत्या हिस्सा बराबर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

हाल खसरा नंबर	रकबा हैक्टेयर में	साबिक खसरा नं0	रकबा
517	0.21	113 मिन	3 बीघा 16 बिस्वा
518	0.06	113 मिन	–
519	0.07	113 मिन	–
521	0.33	113 मिन	–
522	0.28	113 मिन	–

नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 113 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी यादराम पुत्र रामसिंह, वदन पुत्र रमसू खिलाडी पुत्र झूत्या जाति गुर्जर हिस्सा बराबर निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1977 उनवानी रामजीलाल पुत्र गुट्टन जाति ब्राहम्ण निवासी दुब्बे पाडा हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक यादराम पुत्र महाराजसिंह , बदन पुत्र रमसू, खिलाडी पुत्र झूथिया जाति गुर्जर निवासी शहदकी का पुरा कस्बा हिण्डौन– क्रेता द्वितीयपक्ष के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 113 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन सम्पूर्ण को क्रेतागण के हक में बेचान किया जाना तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा संभलाना अंकित किया है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र सं0 आर.जे./11/ 086/132186 यादराम पुत्र महाराज सिंह निवासी सहदगी का पुरा गांव मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड महाराजसिंह पुत्र गिर्राज निवासी शहदगी का पुरा ग्राम पंचायत मण्डावरा के नाम से जारी किया हुआ है, जिसमें यादराम पुत्र महाराजसिंह दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 231145936007 यादराम सिंह गुर्जर पुत्र महाराज सिंह निवासी शहदगी का पुरा हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.21 है0, 518 रकबा 0.06 है0, 519 रकबा 0.07 है0, 521 रकबा 0.33 है0, 522 रकबा 0.28 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.95 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी का नाम यादराम पुत्र रामसिंह दर्ज रिकार्ड है। जबकि उक्त विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 113 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन को प्रार्थी यादराम पुत्र महाराजसिंह , बदन पुत्र रमसू, खिलाडी पुत्र झूथिया जाति गुर्जर निवासी शहदकी का पुरा कस्बा हिण्डौन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.

1977 को पूर्व खातेदार रामजीलाल पुत्र गुट्टन जाति ब्राहम्ण निवासी दुब्बे पाडा हिण्डौन से खरीद किया था, जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम महाराजसिंह दर्ज रिकार्ड है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामसिंह दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों में भी प्रार्थी के पिता का नाम महाराजसिंह दर्ज रिकार्ड है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम महाराजसिंह है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम रामसिंह के स्थान पर महाराजसिंह संशोधन कराने का प्रार्थी अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 517 रकबा 0.21 है0, 518 रकबा 0.06 है0, 519 रकबा 0.07 है0, 521 रकबा 0.33 है0, 522 रकबा 0.28 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.95 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदारी के कॉलम में प्रार्थी का नाम यादराम पुत्र रामसिंह के स्थान पर यादराम पुत्र महाराजसिंह संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेगें। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली